न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 77/2019

रमादत्त पाटीदार पुत्र विष्णुदत्त पाटीदार (मृतक) जरिये वारिसान

1. शैलेन्द्र पाटीदार पुत्र रमादत्त पाटीदार
2. एकता पाटीदार पुत्री रमादत्त पाटीदार
3. कविता पाटीदार पुत्री रमादत्त पाटीदार
4. पदमा पाटीदार बेवा रमादत्त पाटीदार

समस्त निवासी हाल 520, अम्बामाता स्कीम, उदयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थी

<u>निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956</u>

दिनांकः 17-1-20

उपस्थितः श्री ईश्वर देवड़ा प्रार्थीगण अभिभाषक
अप्रार्थी

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री ईश्वर देवड़ा के माध्यम से राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी वास्ते नाम दुरूस्ती करवाने बाबत् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर की साबिक आराजी खसरा नम्बर 5 में प्रार्थीगण के पिता रमादत्त पुत्र विष्णुदत्त को 15 बीघा भूमि आवंटित की गई। उक्त आवंटन के आधार पर नामान्तकरण संख्या 334 दिनांक 03.09.1983 को गैर खातेदारी का रमादत्त पुत्र विष्णुदत्त जी के नाम दर्ज किया गया व जरिये नामान्तकरण संख्या 336 खातेदारी का दर्ज किया गया। इसी आराजीयात् खसरा संख्या 5 में से 10 बीघा भूमि कमलबिहारी पुत्र किशनबिहारी को भी आवंटन की गई। उक्त दोनो आवंटित आराजीयात को शामिल में नए नम्बर 30/1 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा दर्ज किया

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

गया। वर्णित भूमि के अतिरिक्त ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर की साबिक आराजी नम्बर 5 में से 06 बीघा 1 बिस्वा भूमि का आवंटन कमल बिहारी पुत्र किशनबिहारी व रमादत्त पुत्र विष्णुदत्त ब्राह्मण के नाम पर किया गया, जो नामान्तकरण संख्या 563 दिनांक 17.08.1984 को गैर खातेदारी हक से आवंटियों का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ व नामान्तकरण संख्या 227 दिनांक 14.09.1988 से बतौर खातेदारी दर्ज की गई। उक्त आवंटित आराजीयात के नए नम्बर 30/2 रकबा 06 बीघा 1 बिस्वा दर्ज किया गया। उक्त आराजीयात् के राजस्व रिकार्ड नामान्तकरण संख्या 334 में प्रार्थीगण के पिता का नाम रमादत्त पुत्र विष्णुदत्त सही तौर पर वर्णित किया गया व नामान्तकरण संख्या 336 में भी प्रार्थीगण के पिता का नाम रमादत्त पुत्र विष्णुदत्त सही तौर पर वर्णित किया गया, किन्तु उसके पश्चात् राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम रमादत्त पुत्र विष्णुदत्त को सही अंकित नहीं करते हुए, रामदत्त पुत्र विष्णुदत्त एवं रामचन्द्र पुत्र विष्णुदत्त अंकित कर दिया गया, जो कि पूर्णतया गलत तौर पर दर्ज इन्द्राजात् है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

खसरा नम्बर 5 में से कुल 25 बीघा भूमि आवंटित की गई थी किन्तु सेटलमेन्ट बने नए नम्बर 30/1 में उक्त आराजीयात् का रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा ही दर्ज किया गया जबकि 25 बीघा रकबा दर्ज किया जाना चाहिए था। साथ ही आवंटित रकबे का पृथक–पृथक अंकन भी राजस्व रिकार्ड में किया जाना आवश्यक था, किन्तु दोनो आवंटियों को संयुक्त रूप से दर्शाने की स्थिति में असमंजस की स्थिति रिकार्ड से प्रकट होती है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

वर्तमान खसरा नम्बर 30/2 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा के राजस्व रिकार्ड में कमल बिहारी पुत्र किशनबहारी को सही ढंग से नहीं दर्शाते हुए कमलबिहारी, किशनबिहारी, रामदत्त पुत्र विष्णुदत्त दर्शाया गया है। जिससे उक्त आराजीयात् में 3 यूनिट दर्शित होती है। जबकि कमलबिहारी पुत्र किशनबिहारी व रमादत्त पुत्र विष्णुदत्त दर्ज किया जाना चाहिए था। उक्त इन्द्राजात् से रिकार्ड की पूर्णतया स्थिति परिवर्तित होती है, जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रश्नगत भूमि के खातेदार रमादत्त पुत्र विष्णुदत्त जी का स्वर्गवास हो गया है। उनके स्वर्गवास उपरान्त उनके वारिसान प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड में स्वयं का नाम दर्ज कराने बाबत् कार्यवाही प्रारम्भ की गई। किन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त लिपिकीय त्रुटिवश गलत इन्द्राजात् के कारण प्रार्थीगण का नाम रमादत्त पुत्र विष्णुदत्त जी के बजाय दर्ज नहीं किया जा सका। उक्त लिपिकीय त्रुटिवश प्रार्थीगण को कई तरह

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बान्दरसिन्दरी स्थित आराजीयात् वर्तमान खसरा नम्बर 30/1 में रामदत्त पुत्र विष्णुदत्त के बजाय रमादत्त पुत्र विष्णुदत्त दर्ज किये जाने एवं रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा के स्थान पर 25 बीघा दर्ज किये जाने तथा आराजी नम्बर 30/2 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा के राजस्व रिकार्ड में कमलबिहारी, किशनबिहारी, रामदत्त पुत्र विष्णुदत्त के बजाय कमलबिहारी पुत्र किशनबिहारी एवं रमादत्त पुत्र विष्णुदत्त दर्ज किए जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी को संख्याक–4 हेतुक दर्शित के लिए सूचना (साधरण प्रारूप) हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 68–71 अनुसार खसरा संख्या 30/2 रकबा 06–01–00 एवं खसरा संख्या 30/1 रकबा 23–11–00 में रामदत्त पि0 विष्णुदत्त कौम ब्राह्मण (बोहरा) का नाम सहखातेदारी में अंकित है। एकीकरण खसरा संख्या 5 रकबा 1698–13–00 में से 15 बीघा भूमि रमादत्त पुत्र विष्णुदत्त बोहरा एवं 10 बीघा भूमि कमल बिहारी पुत्र श्रीकिशन शर्मा निवासी किशनगढ़ को क्रमशः नामान्तकरण संख्या 334 दिनांक 03.09.1983 एवं 385 दिनांक 03.09.1983 द्वारा आवंटित की गई है। तत्पश्चात् रिकार्ड आपरेशन में निर्मित वर्किंग जमाबन्दी सम्वत् 2042 में नवीन खसरा संख्या 30/1 रकबा 23–11–00 बं–। कमल बिहारी पि0 श्रीकिशन, रामदत्त पि0 विष्णुदत्त कौम ब्राह्मण सा0 किशनगढ़, ख0नं0 30/2 रकबा 06–01–00 बं–। कमलबिहारी, किशनबिहारी, रामदत्त पि0 विष्णुदत्त कौम ब्राह्मण सा0 किशनगढ़ के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 5 (एकीकरण जमा0) का शेष रकबा अन्य खातेदारों के नाम दर्ज है। एकीकरण खसरा संख्या 5 रकबा 1698–13–00 में से 06–01–00 भूति कमलबिहारी, किशनबिहारी, रामदत्त पि0 विष्णुदत्त कौम ब्राह्मण सा0 किशनगढ़ को नामान्तकरण सं0 563 दिनांक 17.08.1984 को आवंटित की गई, तद्नुसार वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 में नवीन खसरा नम्बर 30/2 रकबा 06–01–00 पर कमलबिहारी, किशनबिहारी, रामदत्त पि0 विष्णुदत्त कौम ब्राह्मण सा0 किशनगढ़ दर्ज है।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया।

5. विचाराधीन प्रकरण में निम्न बिन्दु विचारणीय है :–

(1) प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व के माध्यम से ख0नं0 30/1 रकबा 23–11–00 के स्थान पर 25–00–00 की शुद्धि चाही गई है जो

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

कि धारा 136 रा0भू0राजस्व अधिनियम के प्रावधानों में नहीं आता है क्योंकि धारा 136 के अन्तर्गत जमाबन्दी में वर्तनी अशुद्धि जो कि त्रुटि पूर्ण अंकित हो उसे सही किया जाता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष में उन्हे यह सिद्ध करना होगा की उनका रकबा जो कम किया गया है वह मात्र अशुद्धि के कारण था या उनका रकबा कम किया तो क्या किसी और खसरे का रकबा तो बढ़ाया गया अथवा नहीं। अतः यह धारा 136 के अन्तर्गत नहीं आता है।

(2) प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 30/2 रकबा 06–01–00 भूमि के राजस्व रिकार्ड में कमलबिहारी, किशनबिहारी, रामदत्त पुत्र विष्णुदत्त के बजाय कमलबिहारी पुत्र किशनबिहारी एवं रमादत्त पुत्र विष्णुदत्त दर्ज किए जाने का निवेदन किया है किन्तु प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में सहखातेदार कमलबिहारी को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिसके कारण कमलबिहारी, किशनबिहारी के स्थान पर कमलबिहारी पुत्र किशनबिहारी की शुद्धि किया जाना उचित नहीं है।

(3) प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड में अपने पिता रमादत्त के स्थान पर अंकित गलत अंकन रामदत्त की शुद्धि करने का निवेदन किया। रिकार्ड के अवलोकन अनुसार उक्त आराजीयात् के राजस्व रिकार्ड नामान्तकरण संख्या 334 व नामान्तकरण संख्या 336 में प्रार्थीगण के पिता का नाम रमादत्त पुत्र विष्णुदत्त सही तौर पर अंकित किया गया, किन्तु उसके पश्चात् के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामदत्त पुत्र विष्णुदत्त, रामचन्द्र पुत्र विष्णुदत्त दर्ज कर दिया गया है जो गलत अंकन है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम बान्दरसिन्दरी स्थित आराजीयात् वर्तमान खसरा नम्बर 30/1 एवं आराजी खसरा नम्बर 30/2 में अंकित नाम रामदत्त पुत्र विष्णुदत्त के बजाय पूर्ववर्ती रिकार्ड जहा से उक्त अंकन गलत दर्ज हुआ है के अनुसार रमादत्त पुत्र विष्णुदत्त दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.1.20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2020.02.13 12:16:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: